



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 12/02/2020

Certificate No. GFL2020B11

SRN No. 62752417



Stamp Duty Paid : ₹ 700000
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: M R Lohia

No/Floor: 23

Sector/Ward: 13

LandMark: Dlf phase

City/Village: Gurugram

District: Gurugram

State: Haryana

Phone: 98*****50

Others: Satyvati



Buyer / Second Party Detail

Name: Jatin Lohia

No/Floor: 30

Sector/Ward: 1

LandMark: Silver oak farms

City/Village: Gadipur

District: South delhi

State: New delhi

Phone: 98*****50

Purpose: sale deed

11:10
100 2540000

7352
17-2-20

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrahry.nic.in>

किस्म वसीका : बयनामा
मालियति : मुबलिंग 1,00,00,000 / -रुपए
स्टाम्प : मुबलिंग 7,00,000 / -रुपए
मौजा : सोहना
सर्टिफिकेट न0 : GFL2020B11/12/02/2020
किस्म : कृषी भुमि
रजिस्ट्रेशन फीस : 50,005 / -
जारी कर्ता : हरियाणा सरकार



हम मस्त राम लोहिया आधार न0(8502 8597 8618) पुत्र फूल सिंह व श्रीमती सत्यवती
आधार न0(8740 2169 5690) पत्नी एम आर लोहिया निवासीयान एच 23/13 डि एल
एफ फेस गुरुग्राम तहसील व जिला गुरुग्राम हरियाणा के है

(Signature)

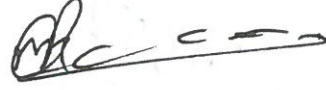
Satyavati

प्रलेख न:7352

दिनांक:17-02-2020

डीड का नाम SALE WITH IN MC AREA		डीड संबंधी विवरण
तहसील/सब-तहसील सोहना	गांव/शहर Sohna	स्थित AGRI OPEN PUB UTILITY
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
कृषि चाही	4 Kanal	
धन संबंधी विवरण		
राशि 10000000 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 700000 रुपये	
स्टाम्प नं : GFL2020B11	स्टाम्प की राशि 700000 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50000 रुपये	EChallan:62823157	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By: DS YADAV ADV		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 17-02-2020 दिन सोमवार समय 5:38:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी RAM LOHIA पुत्र PHOOL SINGH SATYAWATI पत्नी MR LOHIA निवास GGM द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।



हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
RAM LOHIA SATYAWATI

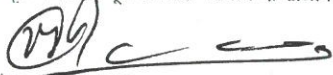
उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (सोहना)

संयुक्त पंजीयन अधिकारी
सोहना

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।



दिनांक 17-02-2020
RAM LOHIA SATYAWATI

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (सोहना)

संयुक्त पंजीयन अधिकारी
सोहना

उपरोक्त क्रेताव श्री/श्रीमती/कुमारी JATIN LOHIA पुत्र RAVINDER SINGH हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि क्रेता ने मेरे समक्ष विक्रेता को अदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी NARESH NAMBARDAR पिता --- निवासी MANDAWAR श्री/श्रीमती/कुमारी GAURAV पिता --- निवासी SOHNA ने की।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 17-02-2020

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (सोहना)

संयुक्त पंजीयन अधिकारी
सोहना



जो कि हम अराजी वाका मौजा सोहना तहसील सोहना, जिला गुडगावां मे जिसका खेवट/खाता न0 133 मु0 न0 142 किला न0 9 मिन उत्तर (4-0) किता 1 रकबा 4 कनाल 0 मरला के मालिक व काबिज बरुवे इन्तकाल 11932 मंजुरशुदा की रूह से है। रकबाबाला हर किस्म के भार यानि जेरबारी, देनदारी, कानूनी वाक्याती व जमानत आदि से भारमुक्त है। अब से पहले किसी अन्य को किसी दीगर तरीके से जैसे रहननामा, बयनामा, पटटानामा, हिब्बानामा, आडरहन, सम्पत्ति परित्याग, मुख्तयार आम, सम्पत्ति अन्तरण आदि द्वारा मुन्तकिल ना किया है, सम्पत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहण ना की गई है, ना ही इसकी बाबत कोई नोटिस वगैरा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त अराजी पर सरकारी या गैर सरकारी ऋण या भार नहीं है। सम्पत्ति पर कोई लोन वगैरा नहीं है। सम्पत्ति सरपल्स मे नहीं है। यानि सम्पत्ति हर किस्म के भार से भारमुक्त है। सम्पत्ति पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। और इसके मालिकाना हक मे आज से पहले किसी प्रकार का कोई नुष पाया गया तो बेचने वाला उसके होने वाले नुकसान और खर्च के लिए स्वयं जिम्मेवार रहेगा। और उसको दूर करवाकर देगा और आज के बाद खरीददार स्वयं जिम्मेवार रहेगी। मुन्तकिल करने का पूरा अधिकार हासिल है। मुझे बराये अखराजात खुद व दीगर सम्पत्ति खरीदने के लिए धन की जरूरत है। अतः अब मैंने अपने उपरोक्त रकबा को बिलऐवज मुबलिग 1,00,00,000/-रुपए एक करोड रुपए में बदस्तः श्री जतिन लोहिया (आधार कार्ड न0-) पुत्र श्री रविंदर सिंह लोहिया निवासी फार्म हाउस न0-30, रोड न0-1 सिल्वर ओक फर्म्स, घिटोरनी, गदैपुर साउथ दिल्ली 110030 को बय कर दिया है। कुल जरे मुबलिग 1,00,00,000/-रु निम्न प्रकार से वसूल पाए:-



Reg. No.

Reg. Year

Book No.

7352

2019-2020

1



विक्रेता



क्रेता



गवाह

विक्रेता :- RAM LOHIA SATYAWATI

क्रेता :- JATIN LOHIA

गवाह 1 :- NARESH NAMBARDAR

गवाह 2 :- GAURAV

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 7352 आज दिनांक 17-02-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 2133 के पृष्ठ नं 3 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 1629 के पृष्ठ संख्या 90 से 93 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 17-02-2020

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (सोहना)

संयुक्त पंजीयन अधिकारी
सोहना



20,00,000 /—रु बजरीए आर.टी.जी.एस न0—MAHBR52020020707717250 दिनांक

07.02.2020—30,00,000 /—रु आर.टी.जी.एस न0—MAHBR52020021007720831

दिनांक 10.02.2020 मस्त राम लोहिया ने प्राप्त पाए— 20,00,000 /—रु बजरीए आर.टी.जी.

एस न0—MAHBR52020020707714099 दिनांक 07.02.2020—15,00,000 /—रु

बजरीए आर.टी.जी.एस न0—MAHBR52020020707715806 दिनांक 07.02.

2020—14,50,000 /—रु बजरीए आर.टी.जी.एस न0—MAHBR52020021107729233

दिनांक 11.02.2020 — सत्यवती ने प्राप्त किए इन पेयमेन्ट मे से 1 प्रतिशत टी.डी.एस. काटा

गया है गवाहन प्राप्त कर लिए है। कुछ लेना बकाया बाजिम्मा खरीदार के ना रहा है। कब्जा

मौका पर अपनी बजाय उक्त विक्रीत रकबा पर हवाले खरीददार के करा दिया है। खरीददार उक्त

विक्रीत रकबा का पूर्ण रूप से मालिक व काबिज हो गया है। आज के बाद मेरा व मेरे वारसान का

कोई हक उक्त विक्रीत रकबा की बाबत ना रहेगा। खरीददार को अधिकार होगा कि वह विक्रीत

रकबा को जैसे चाहे इस्तेमाल करे, तामीर करे, मुन्तकिल करे, कोई उजर ना होगा। दाखिल

खारिज कागजात माल में खरीददार के नाम दर्ज व मंजूर करा दूंगा वरना खरीददार इस

दस्तावेज की रूह से स्वयं करा लेवे, कोई उजर ना होगा आज तक का कोई नुक्स विक्रीत रकबा

में निकलेगा तो उसका मैं जिम्मेवार व देनदार रहूंगा और आज के बाद खरीददार स्वयं जिम्मेवार

होगा।



Satyavati



अतः यह बयनामा सुन समझकर बारजामन्दी खुद के तहरीर कर दिया कि सनद रहे
वक्त जरूरत काम आवे । दिनांक-17.02.2020


DRAFTED BY : ADVOCATE DHARAM SINGH YADAV

अलब्ध :

खरीदार

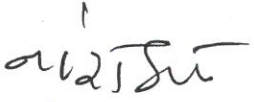
एम आर लोहिया

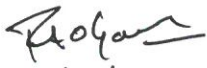
श्रीमती सत्यवती

श्री जतिन लोहिया



गवाह:1 
नरेश कुमार
सरबराय नम्बरदार, मन्डार
सोहना जिला गुड़गाँव

गवाह:2 
Gauran Yadav S/o Pharan
R/o Gauran



